संख्या-469/2023/1239रासनि/23-1-23/003-03(ए)/आरएसएन-एमआरटी/23

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 27 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मेरठ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4383/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2023-24, दिनांक 18.05.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मेरठ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 6,82,21,000/- (रूपये छः करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. मेरठ	लावड़ जलालपुर उलखपुर सैनी की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	125.69/ 125.69/ 110.88/ 0.12/ 125.57	77.57	48.00	38.40
2	प्रा.ख. मेरठ	मेरठ परीक्षितगढ़ आसिफाबाद मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) किमी0-23 में 01 नग बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	49.92/ 49.92/ 47.94/ 0.25/ 49.67	12.48	37.19	29.75
3	प्रा.ख. बागपत	बडौत-छपरौली-टाण्डा	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	302.67/ 302.67/ 200.08/ 1.50/ 301.17	151.34	149.83	80.00
4	प्रा.ख. बागपत	बागपत मुरादनगर मार्ग (अजिमा) आबादी भाग ग्राम पाबला एवं ग्राम पांची में विशेष मरम्मत का कार्य।	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	298.00/ 298.00/ 237.74/ 1.50/ 296.50	74.5	222.00	119.20
5	प्रा.ख. बागपत	पुसार - बरनावा मार्ग से रन्छाड़ होते हुए बिनौली से कैडवा तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-1 से 4, किमी0-6(850),	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	132.62/ 132.62/ 99.92/ 1.80/ 130.82	33.16	97.66	69.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		किमी0-7 एवं किमी0-8(650) कुल 6.500 किमी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य।					
6	प्रा.ख. बागपत	बंथला ढिकौली मार्ग से खेकडा बडांगांव एवं जैन मन्दिर मार्ग।	58 /2023/1356 रासनि (12)/23-1-22/001-59 आरएसएन/2022 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	218.89/ 218.89/ 131.04/ 10.00/ 208.89	0.17	208.72	87.56
7	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	खलसिया गेट से बड़ौदा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	48.84/ 48.84/ 37.50/ 0.27/ 48.57	43.96	4.61	3.69
8	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद-खुर्जा मार्ग से एम0बी0 मार्ग वाया बिलसूरी, पिलखनवाली, मौहम्मदपुर कलॉ मार्ग	262 /2023/675 रासनि(2)/23-1-2023/001-31 आरएसएन/2023 दिनांक 12.03.2023-दिनांक-12-03-2023	80.64/ 80.64/ 58.11/ 0.58/ 80.06	1.61	78.45	62.76
9	प्रा.ख. बुलन्दशहर	कचहरी चॉदपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (स्व0 श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही मार्ग) की विशेष मरम्मत का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-30-11-2021	76.01/ 76.01/ 56.50/ 5.50/ 70.51	58.94	11.57	9.26
10	प्रा.ख. बुलन्दशहर	गंगावली-ताजपुर मार्ग से अहमदपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	103.64/ 103.64/ 73.73/ 14.48/ 89.16	77.73	11.43	9.14
11	प्रा.ख. बुलन्दशहर	परतापुर से लोहतारा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	41.85/ 41.85/ 32.70/ 2.08/ 39.77	10.46	29.31	21.10
12	प्रा.ख. बुलन्दशहर	नरसैना नहर के पुल से नरेन्द्रपुर - शरीफपुर होते हुए अवन्तिका देवी मन्दिर तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	141.82/ 141.82/ 91.07/ 27.03/ 114.79	35.46	79.33	57.12
13	प्रा.ख. हापुड़	हामिदपुर-सिकन्दराबाद कुचेसर मार्ग	58 /2023/1356 रासनि (12)/23-1-22/001-59 आरएसएन/2022 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	237.59/ 237.59/ 144.85/ 29.32/ 208.27	59.40	148.87	95.03
						कुल योग	682.21

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्का ल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्त्र पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 6,82,21,000/- (रूपये छ: करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-469/2023/1239रासनि(1)/23-1-23/003-03(ए)/आरएसएन-एमआरटी/23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।